



2150
10/3

राजस्थान सरकार

74

2090/SL56/08
10-3-08

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

46 / 2008

दिनांक 05 मार्च, 2008 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अनुमति से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संख्या एफ 3(106) (42)/आरयूएसडीआईपी/पी.एम.यू./मंत्रिमण्डल ज्ञापन/2007/19218 दिनांक 4-3-08 में अंकित राज्य के 15 शहरों के ढांचागत विकास हेतु बनायी गई परियोजना "राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम" की स्वीकृति एवं एशिया विकास बैंक से इस परियोजना हेतु ऋण लेने की स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि स्थानीय निकाय के अंशदान की राशि निकाय से अग्रिम लेने की बजाय राज्य सरकार द्वारा देय पुनर्भरण राशि में से उपलब्ध कराई जावेगी। ज्ञापन के अन्य बिन्दुओं पर निर्णय लेने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदया को अधिकृत किया गया।

PD RuadP
10/3/08

Perms (L54)
B54
AT 20.03.08
R. Avish
8/3

7.3.08
(डी.सी. सामन्त)
मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग।

डी- 46 / मंम / 2008
दिनांक: 7 मार्च, 2008